

Dr•Manoj Kumar Singh
Assistant Professor
P.G.Deptt.of Psychology
Maharaja College Ara
Date;08/11/2025
Class: P.G Semester - 3rd
(C.C-12)
Educational Psychology,

Topic -

श्रवण दोष से ग्रसित बालक (Aurally Handicapped or Hearing impaired children)

अर्थ एवं प्रकार- श्रवण सम्बन्धी दोष से ग्रसित बालकों से तात्पर्य वैसे बालकों से है, जो आशिक रूप से या पूर्ण रूप से सुनने के योग्य नहीं होते। ऐसे बालक या व्यक्ति बोलने वाले की तरफ अपनी एक कान घूमाकर सुनने की कोशिश करता है और अगर वक्ता ने दिखे उसे भाषा समझने में भी दिक्कत होती है। श्रवण दोष से ग्रसित बालक या वयस्क हमेशा उलझन में या घबड़ाये रहते हैं। लोगों से अपनी बात दुहराने को कहते हैं और नया शब्द या नाम सुनकर गलत उच्चारण करते हैं। मुख्यतया दो प्रकार के श्रवण दोष पाये जाते हैं-पूर्ण और आशिक, पर शरीर विज्ञान या चिकित्सा की भाषा में श्रवण दोष को मुख्यतया चार भागों में बाँटा गया है।

(i) Conductive Hearing Loss - बाहरी या मध्य कान में अगर किसी तरह की बाधा उत्पन्न हो (conduction pathways for sound to reach the inner ear) जिससे आन्तरिक कान में ध्वनि को बारम्बारता (frequency) कम या नहीं पहुँचती है, तो श्रवण सम्बन्धी दोष उत्पन्न हो जाते हैं। इस तरह के दोष से ग्रसित बालक पूर्ण बधिर नहीं होते। Conductive hearing loss में वे श्रवण उपकरण (hearing aid) की सहायता से सुन सकते हैं।

2. Sensorineural hearing loss इस तरह के दोष में आन्तरिक कर्ण की जो केश कोशिकाएँ (hair cells) हैं, उनमें किसी तरह की क्षति उत्पन्न हो जाती है, जिससे व्यक्ति कुछ ध्वनि तरंगों को सुनने में असमर्थ हो जाता है। आवाज को बढ़ाने वाले यंत्र (amplifiers) से सुनने पर भी शब्द क्षतिग्रस्त अवस्था में ही सुनायी देते हैं।

3. मिश्रित श्रवण दोष (A mix hearing loss) ऐसे व्यक्तियों के मध्य और अंतःकर्ण में दोष उत्पन्न हो जाता है।

4. केन्द्रीय श्रवण दोष (A central hearing loss)- केन्द्रीय स्नायुमंडल की गतिवाही न्यूरोन में जब किसी तरह की क्षति होती है तो मस्तिष्क के श्रवण केन्द्र में बाधा पहुँचती है। फलस्वरूप व्यक्ति कम सुनने लगता है। इन वर्गीकरण के आधार पर श्रवण दोष या क्षति कई प्रकार के होते हैं-हल्का (mild), मध्यम (moderate) या फिर तीव्र (severe) जो ध्वनि की तीव्रता Pitch या Hertz के आधार पर मापे जाते हैं।

श्रवण दोष के कारण श्रवण सम्बन्धी दोष, मुख्यतया हमारी संवेदना एवं प्रत्यक्षीकरण से जुड़े अवयवों में कमी या दोष के कारण होती है। इस प्रकार के दोषों के लिए अनुवांशिकता और वातावरण दोनों ही उत्तरदायी हैं।

1. श्रवण दोष से युक्त माता-पिता से बच्चे यह दोष अनुवांशिकता के कारण ग्रहण करते हैं अर्थात् जन्मजात होते हैं।

2. समय से पहले जन्म (premature birth) के कारण भी यह दोष पाया जाता है क्योंकि श्रवण संबंधी अवयव विकसित नहीं हो पाते हैं।

3. गर्भधारण की अवस्था में माता का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, कुपोषण, भूखमरी, जानलेवा दुर्घटना, भयंकर बीमारी या मद्यपान एवं ड्रग के कारण गर्भावस्था में ही यह दोष बच्चों में आ जाता है।

4. किसी तरह की विटामिन की कमी या पोषक तत्वों की कमी से बच्चों में यह दोष आ जाता है।

5. कभी-कभी यह दोष पूर्णतया मनोवैज्ञानिक कारणों से होता है। अगर घर का वातावरण दोषपूर्ण हो और अवांछित परिस्थिति बराबर बनी रहे तो इस परिस्थिति से भागने के लिए अचेतन रूप से कम सुनने लगता है।

श्रवण संबंधी दोष व्यक्ति के जीवन में कभी भी आ सकते हैं। कभी-कभी किसी दवा के पाक्षिक (side effect) असर श्रवण सम्बन्धी अवयवों में कोई क्षति होने से या किसी गंभीर बीमारी जैसे मेनिंगजाइटिस (Meningitis) होने से या कभी-कभी anti-biotic दवाओं के ज्यादा प्रयोग (overdose) के असर से भी श्रवण सम्बन्धी दोष आ जाते हैं।

पूर्णरूपेण बहरे बालकों की शिक्षा एवं समायोजन (Education and Adjustment

of Deaf children)- पूर्णरूप से बधिर बालक सुनकर सम्पर्क स्थापित नहीं कर पाते। अतः उन्हें बोलकर कुछ भी सिखाया नहीं जा सकता। नहीं या कम सुनने के कारण उन्हें कई प्रकार के शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक एवं सुरक्षा सम्बन्धी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अतः उनकी शिक्षा एवं अभियोजन के लिए अतिरिक्त प्रयास करना पड़ता है।

1. उनकी शिक्षा में चिह्न भाषा (sign language) सांकेतिक भाषण (eued speech) या अशाब्दिक संचार (non verbal communications) की प्रधानता होनी चाहिए। कुछ शिक्षाशास्त्रियों ने संपूर्ण संचार उपागम (total communication approach) पर बल डाला है। उन्हें हस्त आंगुलिक हिज्जे (finger spelling) की सहायता से दूसरे व्यक्तियों के साथ सम्पर्क साधने का प्रशिक्षण किया जाता है।

2. अन्य इन्द्रियों की सहायता से (senses of sight, smell touch and taste) उनकी भाषा का विकास किया जाता है। बहरे बच्चों की इन्द्रियाँ, सामान्य बच्चों की इन्द्रियाँ अधिक विकसित होती हैं। अतः उनकी दूसरी योग्यताओं के विकास के लिए अतिरिक्त सहायता एवं सुविधा देनी चाहिए। कभी-कभी बहरे लोग अच्छे कार्टूनिस्ट, फैशन डिजाइनर इत्यादि होते हैं।

3. उन्हें व्यवसायिक शिक्षा या क्रियात्मक कार्य (motor work) की शिक्षा भी देनी चाहिए। इन कार्यों में प्रवीणता लाकर वे अपनी जीविका के लिए उपार्जन भी कर सकते हैं। कपड़ा सीना, कुर्सी बुनना, मिट्टी के बर्तन बनाने की कला में महारथ हासिल कर सकते हैं।

4. ऐसे बालकों के लिए पृथक विद्यालय होना चाहिए। भारत में भी प्रत्येक राज्य में ऐसे विद्यालय हैं, जहाँ विभिन्न तरह के विशेष कार्यक्रम छोटी कक्षा बनाकर चलाये जाते हैं। ऐसे विद्यालयों में सभी बच्चे एक तरह के (hearing impaired) होते हैं। इसलिए उनका अभियोजन एक-दूसरे के साथ सफल होता है। उनमें हीन भावना नहीं आती। इसलिए सामान्य रूप से उनका व्यवहार एक दूसरे के साथ होता है। इसके अलावा उन्हें E-mail सामग्री web text material की सुविधा देनी चाहिए, जिससे अपनी शिक्षा पूरी कर सकते हैं।

आंशिक रूप से बहरे बच्चों की शिक्षा एवं अभियोजन (Education and

adjustment of partially deaf children or hard of hearing)- आंशिक रूप से बधिर बालकों की शिक्षा एवं अभियोजन पूर्ण बधिर की अपेक्षा सरल है। थोड़े अधिक प्रयास से वे बेहतर अभियोजन की कला पा सकते हैं, पर उनका वर्ग अलग होना चाहिए। उनकी शिक्षा एक समायोजन के लिए निम्नलिखित बातें आवश्यक हैं-

1. उन्हें सही श्रवण सम्बन्धी उपकरण, उनकी सुनने की मात्रा को माप कर देनी चाहिए। अगर सही समय पर, बाल्यावस्था में ही उन्हें सही उपकरण दिये हैं तो उसका प्रभाव अच्छा होता है। (बर्क Birch-1975) ने आंशिक रूप से बहरे बच्चों पर प्रयोग किया और पाया कि इयर फोन लगाकर बच्चों को दी गयी शिक्षा की उपलब्धि सामान्य बच्चों के समान थी।

2. उनका पालन-पोषण एवं विद्यालयों में उनकी खास देखभाल होनी चाहिए जिससे अपने श्रवण दोष के कारण, अपने आपको दूसरे से हीन नहीं समझे। उनके बहरेपन का मजाक नहीं बनाना चाहिए, बल्कि सामान्य बच्चों सा ही व्यवहार करना चाहिए। ऐसे बच्चे सामाजिक प्रोत्साहन देना चाहिए जिससे उनमें आत्म विश्वास (self confidence) एवं आत्म आदर (self respect) की भावना का विकास हो।

3. शिक्षकों को इतना प्रयास करना चाहिए कि ऐसे बालक अपने श्रवण क्षमता का अधिक उपयोग कर सकें।

4. ऐसे बच्चों की शिक्षा के लिए माता-पिता एवं शिक्षक को सम्पूर्ण संचार उपागम (Total Communication approach) का प्रशिक्षण लेना चाहिए। जिससे उनके भाषा विकास में सहयोग कर सकें। इस उपागम में दूसरों की बोली सुनाकर अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की शिक्षा दी जाती है। इसके लिए इन्हें चिह्नों (signs) सांकेतिक भाषण (cued speech) एवं आंगुलिक हिज्जे (finger spelling) के माध्यम से आपस में बातचीत करना सिखाया जाता है। डेन्टन (Denton, 1972) एवं कॉर्नेट (Cornett-1974) ने अपने अध्ययनों के आधार पर संचार उपगमों की उपयोगिता पर अधिक बल डाला है।

5. आंशिक रूप से बधिर बच्चों को अपनी अपनी आवाज की कमजोरी या तीव्रता का कोई पता नहीं होता क्योंकि वे सुन नहीं सकते। ऐसी अवस्था में वे सामान्य से तेज बोलते हैं या एकदम धीरे। उन्हें श्रवण उपकरण की सहायता से श्रवण सम्बन्धी उपागम जैसे रेडियो, V.C.R. टेलीविजन और कम्प्यूटर आदि की आवाज को बराबर सुनने की सुविधा देनी चाहिए जिससे वे अपनी आवाज के pitch को सामान्य रख सकें।

6. ऐसे बालकों की शिक्षा के लिए अलग विद्यालय की आवश्यकता तो नहीं पड़ती, पर शिक्षण कक्ष में ही कुछ विशेष प्रावधान होने चाहिए। उनके लिए प्रशिक्षित शिक्षक या भाषा अनुवादक (instructor or interpreter) का प्रावधान करना चाहिए या अच्छे हस्त संचारक की सुविधा देनी चाहिए जिसकी सहायता से शब्दों के अर्थ समझ सकें।

7. अगर बहारापन किसी मनोवैज्ञानिक कारणों से हुई हो तो एक अच्छे मनोचिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर परामर्शदाताओं (counselor) की सहायता लेनी चाहिए जिससे ऐसे बच्चों में अभियोजन सम्बन्धी कठिनाई न हो।

इन सभी उपायों के प्रयोग से आंशिक रूप से बधिर बालकों की शिक्षा सामान्य रूप से चल सकती है। उन्हें विद्युत उपकरणों के प्रयोग की पूरी जानकारी देनी चाहिए जिससे वे अपनी कक्षा में पिछड़ न जायें या अपने को हीन न समझें। उनके सफल समायोजन के लिए माता-पिता एवं शिक्षक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है।